

(असाधारण भाग I—खंड -1)

अधिसूचना

सरकारी प्रतिभूतियों (जीएस) की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(3)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2021:भारत सरकार एतदद्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है:

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ में)
5.63% सरकारी प्रतिभूति 2026	12 अप्रैल, 2021	05-00-00	12 अप्रैल, 2026	मूल्य	समान	11,000
भा०स० का अस्थायी दर वाला नया बांड 2034	30 अगस्त, 2021	13-02-00	30 अक्टूबर, 2034	प्रसार	समान	3,000
6.64% सरकारी प्रतिभूति 2035	12 अप्रैल, 2021	14-02-04	16 जून, 2035	मूल्य	समान	10,000
6.67% सरकारी प्रतिभूति 2050	02 नवंबर, 2020	30-01-15	17 दिसम्बर, 2050	मूल्य	विविध	7,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूति/प्रतिभूतियों में 8,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियां, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई -400001 के माध्यम से बेचा जाएगा।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियां पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 27 अगस्त, 2021 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. ये प्रतिभूतियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और प्रतिभूतियों के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 27 अगस्त, 2021 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 30 अगस्त, 2021 अर्थात् निर्गम/पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
5.63% सरकारी प्रतिभूति 2026	5.63	नई प्रतिभूति	29 अगस्त, 2021	12 अक्टूबर और 12 अप्रैल
भा०स० का अस्थायी दर वाला नया बांड 2034	परिवर्तनीय#	नई प्रतिभूति	नई प्रतिभूति	30 अक्टूबर और 30 अप्रैल
6.64% सरकारी प्रतिभूति 2035	6.64	16 जून, 2021	29 अगस्त, 2021	16 दिसम्बर और 16 जून
6.67% सरकारी प्रतिभूति 2050	6.67	17 जून 2021	29 अगस्त, 2021	17 दिसम्बर और 17 जून

#: भारत सरकार का अस्थायी दर वाला नया बांड 2034.

(i) परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

(ii) अस्थायी दर वाले बांड की मूल कूपन दर 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (स्पष्टीकरण के लिए कृपया चित्रण देखें) की पिछली 3 नीलामियों (दर निर्धारित करने के दिन से) की भारत औसत आय (डब्ल्यू ए वाई) की औसत तथा नीलामी तंत्र द्वारा निर्धारित स्थायी प्रसार के योग के समतुल्य होगा। यह प्रसार बांड की पूरी अवधि में नियत रहेगा। अंतर्निहित आय की गणना वर्ष में 365 दिन को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(iii) बांड की समयावधि के दौरान भारत सरकार की 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की नीलामी को बंद कर दिए जाने की स्थिति में, कूपन की मूल दर, अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पहले के तीन गैर-रिपोर्टिंग शुक्रवारों को, छह माह तक भारत सरकार प्रतिभूतियों के लिए प्रचलित परिपक्वता दर आय (वाई टी एम) की औसत होगी। यदि किसी शुक्रवार को कोई विशेष छुट्टी/छुट्टियां हो, तो परिपक्वता पर आय की दरें वही होंगी जो पिछले कार्य दिवस पर थी।

(iv) पहली कूपन अवधि की समाप्ति 30 अक्टूबर 2021 पर आधार दर 3.47 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। अनुवर्ती वर्षों के दौरान बांडों पर अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज दर, संबन्धित अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पूर्व, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

आशीष वच्छानी

(आशीष वच्छानी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

चित्रण

चित्रण: अस्थायी दर बांड 2034 पर देय आधार दर

दिनांक, को समाप्त अवधि के लिए कूपन भुगतान हेतु आधार दर की गणना:

क्र.सं.	182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की नीलामी	भारित औसत मूल्य	भारित औसत प्रतिफल (%)
1	दिनांक क	98.2885	3.4922
2	दिनांक ख	98.2994	3.4695
3	दिनांक ग	98.3152	3.4368
			10.3985

@365 दिन के लिए वार्षिक दर पर आधार दर = $(10.3985 / 3) = 3.4662$

दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित = 3.47 प्रतिशत प्रति वर्ष

अनुबंध

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

I. **कार्यक्षेत्र:** सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएंगी। प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी।

II. **पात्रता:** भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

1. जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं;

अपवाद: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।

2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं;

3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

अपवाद: ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिज़र्व बैंक में एस.जी.एल.खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

III. **व्यापकता:** उपर्युक्त शर्तों के अधीन "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा-निर्धारित किसी अन्य कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है। बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है।

IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश:

1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य होगा। कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन दिनांकित प्रतिभूति की किसी नीलामी में केवल एक बोली में भाग ले सकता है। इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना होगा।
2. अपने ग्राहकों से प्राप्त पक्के आर्डर के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में अपने ग्राहकों की ओर से एक एकल समेकित अप्रतिस्पर्धी बोली प्रस्तुत करेगा। असाधारण परिस्थितियों, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली में सामान्य गड़बड़ी को छोड़कर, भौतिक रूप में अप्रतिस्पर्धी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भारांशित औसत दर पर होगा, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डीलर को प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।
4. ऐसे मामले में, जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा। आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का दायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें।
5. ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में शामिल किया जाएगा।
6. प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसाकि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है। मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं। अतः बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपुर्दगी स्वीकार्य है।
7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का दायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करे। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण निर्गम की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।
8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए छह पैसे प्रति सौ रुपए तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में शामिल की जा सकती है या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है। ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा।
9. प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि किसी अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

V. बैंकों और प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) द्वारा समय-समय पर मांगी गई योजना के तहत संचालनों से संबंधित सूचना निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

VI. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तदनुसार, जब भी आवश्यकता होगी, योजना को संशोधित किया जाएगा।